संख्या-01/201503/78-1-2015-187आई.टी./2014

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ: 14 जनवरी, 2015

विषयः ई-उत्तर प्रदेश के आयोजन में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित एक वृहद कार्यक्रम ई-उत्तर प्रदेश (e-Uttar Pradesh) का आयोजन दिनांक 27 जनवरी, 2015 को होटल ताज विवान्ता, लखनऊ में किया जा रहा है, जिसका उदघाटन मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रातः 09:30 बजे किया जायेगा।

2- इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में क्रियान्वित ई-गवर्नेन्स योजनाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में अब तक की प्रगति, गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जायेगा जिससे उत्तर प्रदेश में आई.टी. कम्पनियों की स्ट्रैट्जिक बिजनेस यूनिट्स की स्थापना हेतु एक उपयुक्त वातावरण का सृजन होगा।

3- उपर्युक्त एक दिवसीय कार्यक्रम का ध्येय आई.टी. उद्योग, शासन, नागरिकों और समाज के सभी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर विचार-विमर्श कर भविष्य की रणनीति तैयार करने का है। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट- up-eletsonline-com. पर भी उपलब्ध है।

4- इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर आप स्वयं प्रतिभाग करते हुये अपने विभाग से कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 1/201503 (1)/78-1-2015 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।

3- हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।

4- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।